

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/ २१२
प्रति,

दिनांक- २।२।१७

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय— प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 18.02.2017 से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है।

संस्थायें प्रत्येक पाठ्यक्रम जिसकी शुल्क का विनियमन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है के लिये समिति की बेवसाईट www.afrcmp.org पर निर्धारित लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा भरेंगी। संस्थायें शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि यू.जी. पाठ्यक्रमों के लिए रु. 50000/- एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिये रु. 25000/- ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से समिति, सचिवालय के बैंक खाते में जमा करायेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था को प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के अतिरिक्त पोर्टल/मेन्टीनेश शुल्क की राशि भी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जाना है, जिसे संबंधित फर्म को पोर्टल /मेन्टीनेन्स शुल्क के रूप में तीन वर्ष के लिये दिया जा रहा है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 17.01.2017 को लिये गये निर्णय के अनुरूप संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक (Audited Balance Sheet) (यदि लागू हो तो) तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016) का 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति का आडिटेड आय-व्यय पत्रक रिपोर्ट सहित (Audited Balance Sheet with Report), तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 (1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017) का 31 मार्च, 2017 की स्थिति का बजट अनुमान (Budget Estimate) आय-व्यय पत्रक के साथ, संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा/दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए आनलाईन फर्म 02.03.2017 तक उपलब्ध रहेंगे तथा अन्य समस्त संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फर्म 22.03.2017 तक उपलब्ध रहेंगे। उपरोक्त तिथियों तक संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन फर्म भरने के संबंध में पोर्टल पर निर्देश उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाईन फर्म भरने के पश्चात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली चिकित्सा/दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाएं को आवश्यक जानकारी एवं भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर, रूपये 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर दिनांक 04.03.2017 तक समिति, सचिवालय में जमा करना है। शेष संस्थाओं को ऑनलाईन फर्म भरने के पश्चात् आवश्यक जानकारी एवं भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर,

रुपये 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर दिनांक 28.03.2017 तक समिति, सचिवालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। (शपथ पत्र का प्रारूप समिति, सचिवालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है)।

संस्थाएं जिनके द्वारा पूर्व के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि के साथ पोर्टल/मेन्टीनेश शुल्क की राशि भी तीन वर्ष के लिये ऑनलाइन के माध्यम से जमा करा दी गई हैं तो ऐसी संस्थाओं को परीक्षण/निरीक्षण शुल्क तथा पोर्टल/मेन्टीनेन्स शुल्क की राशि जमा नहीं करना है।

ऐसी संस्थाएं जिन्होंने उनके यहाँ पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम को सत्र 2016–17 से निरन्तरता जारी न रखने का निर्णय लिया है, उन संस्थाओं को भी निर्धारित आवेदन पत्र मय सहपत्रों के समिति, सचिवालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में भरकर निर्धारित प्रोफार्माओं के साथ संलग्न कर जमा करना है। इन संस्थाओं को निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क एवं पोर्टल/मेन्टीनेन्स शुल्क भी जमा नहीं करना है। पाठ्यक्रम बन्द करने के संबंध में संस्था द्वारा शासन/संवैधानिक निकाय (ए.आई.सी.टी.ई., एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.टी.ई. इत्यादि) एवं संबंधित विश्वविद्यालय से जो भी पत्राचार किया है उनकी छायाप्रतियाँ भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 21.03.2017 तक समिति, सचिवालय में जमा कराना है।

ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में अनुमोदन प्राप्त हुआ है परन्तु इन पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का विनियमन समिति से नहीं कराया है, को आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन हेतु फार्म भरने के पूर्व इस सचिवालय में संस्था में संचालित इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क विनियमन कराने की कार्यवाही करना है।

साथ ही ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2017–18 से पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है एवं ऐसी संस्थायें आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहती हैं, को भी इस सचिवालय में संस्था के इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करना है।


प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं को समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रोफार्मा में ही समस्त जानकारियाँ भरना है। अन्य कोई प्रोफार्म अर्थात् पूर्व के ब्लॉकों में उपलब्ध कराये गये प्रोफार्म–सी को भी अब उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म के प्रिन्ट आउट की हॉर्डकॉपी निकालकर तत्संबंधित जानकारी भर लेंवे तथा पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले संलग्नकों को स्केन कर पीडीएफ में रख लेंवे ताकि ऑनलाइन फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। संस्थाओं को ऑनलाइन फार्म भरने के निर्देश भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, संस्था इन निर्देशों को पढ़ लेंवे तथा उनका अवलोकन कर ऑनलाइन फार्म भरने की कार्यवाही करें।

दर्शाई गई तिथियों (पोर्टल पर ऑनलाइन तथा समिति, सचिवालय में हार्डकॉपी जमा कराने की तिथि) के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एकट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।


संलग्न–उपरोक्तानुसार।

पृष्ठमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / २१३

प्रतिलिपि—माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ. एन.के.शर्मा) ०२/०२/१७

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / सचिव
दिनांक – ०२/०२/१७


(डॉ. एन.के.शर्मा) ०५/०२/१७

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / सचिव

Page 2 of 2

// शपथ-पत्र //

मैं श्री पुत्र श्री आयु
 निवासी वर्तमान में समिति का
 अध्यक्ष/सचिव शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ :-

(1) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) तदोपरांत संशोधित अधिनियम, 2013 एवं अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 एवं तत्पश्चात् जारी सभी संशोधनों को पूर्णतः एवं ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया गया है जो कि समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(2) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 के पृष्ठ क्रमांक 404(3) कंडिका क्रमांक-23 के अनुसार “उस दशा में जहाँ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति आवेदन को न मंजूर कर सकेगी और हमारी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी”, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं समझ लिया गया है।

(3) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क विनियमन से संबंधित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

(4) समिति सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रों के तहत दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था द्वारा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में से समस्त समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय को भेज दी गई है।

(शपथ ग्रहीता)

सत्यापन

यह कि मैं श्री पुत्र श्री आयु शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी मेरे कथन के अनुसार सत्य एवं सही है।

(शपथ ग्रहीता)

टीप – उपरोक्त शपथ-पत्र को रु. 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पत्र पर टकित करवाकर नोटराईज कराकर प्रस्ताव के साथ भेजें।